

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खागा, फतेहपुर

-आदेश-

चालानी पेश हुई। अभियुक्त की ओर से जुर्म स्वीकारोक्ति हेतु उसके बयान अंकित किये गये तथा उसे एम.वी.एक्ट/510 भा०द०सं०/290 भा०द०सं०/34 पुलिस एक्ट के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे 5 दिन का साधारण कारावास से दण्डित किया जाये। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
खागा, फतेहपुर।